कोविड-19 प्रभावित परिवहन व्यवसायियों के लिये आर्थिक सहायता योजना

चर्चा में क्यों?

26 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों (चालक/परिचालक/क्लीनर) को सरकार द्वारा दी जाने वाली **आर्थिक सहायता योजना** का विधिवत् शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश के 103235 चालक/परिचालक/क्लीनर को 2000 रुपए प्रतिमाह की राशि 6 माह तक प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के प्रथम चरण में 36,100 परिवहन व्यवसायियों को डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 34,635 चालक, 930 परिचालक तथा 535 क्लीनर शामिल हैं।
- इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा परिवहन व्यवसायी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/financial-assistance-scheme-for-covid-19-affected